भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1589

28 जुलाई, 2026 को उत्तरार्थ

विषय- मिर्च उत्पादकों को मुआवजा

1589. श्री जी. कुमार नायकः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने रायचूर जिले और कर्नाटक के अन्य हिस्सों के मिर्च उत्पादक क्षेत्रों में ब्लैक थ्रिप्स और अन्य उभरते कीटों के कारण हुए फसल के नुकसान और उपज की हानि का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने रायचूर में मिर्च की खेती पर अनियमित मानसून पैटर्न, पानी की कमी और बढ़ते तापमान के प्रभाव का कोई आकलन किया है तथा जलवायु-अनुकूल खेती के तरीकों और एकीकृत कीट प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) क्या सरकार ने रायचूर में मिर्च की खेती की लागत में वृद्धि और मिर्च किसानों पर ऋण का आकलन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार कीटों के हमलों और जलवायु संकट से प्रभावित मिर्च उत्पादकों के लिए कोई विशेष सहायता, मुआवजा या फसल सुरक्षा पैकेज प्रदान करने का है; और

(ङ) मिर्च की कीमतों को स्थिर करने और किसानों को बाजार के गंभीर उतार-चढ़ाव से बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या किए जाने का प्रस्ताव है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क): भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर-आईआईएचआर), बेंगलुरु ने आईसीएआर के अन्य संस्थानों और राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर वर्ष 2021 में कर्नाटक के मिर्च उत्पादक क्षेत्रों में थ्रिप्स के प्रकोप का सर्वेक्षण किया। सर्वेक्षण अवधि के दौरान मिर्च पर थ्रिप्स हवाईएन्सिस, टी. फ्लोरम और टी. पाल्मी की बहुत कम संख्या देखी गई। रायचूर में वर्ष 2021 के दौरान दर्ज की गई प्रमुख थ्रिप्स प्रजाति थ्रिप्स पार्विस्पिनस थी, जो कुल थ्रिप्स आबादी का 94-96% थी, इसके बाद टी. हवाईएन्सिस (3%), टी. फ्लोरम (1%) और टी. पाल्मी (<1%) का स्थान रहा। इस प्रकार, थ्रिप्स पार्विस्पिनस को मिर्च को संक्रमित करने वाली प्रमुख थ्रिप्स प्रजाति के रूप में पहचाना गया। इन निष्कर्षों के आधार पर, मिर्च में थ्रिप्स को नियंत्रित करने के लिए प्रबंधन कार्यक्रम सहित विभिन्न उपचारात्मक उपायों की सिफारिश की गई। वर्तमान में मिर्च की फसल काफी हद तक नर्सरी अवस्था में है और रायचूर जिले में इस सीजन के दौरान अब तक ब्लैक थ्रिप्स या अन्य उभरते कीटों के कोई बड़े प्रकोप की सूचना नहीं

मिली है।

(ख): आईसीएआर-आईआईएचआर, बेंगलुरु द्वारा सूखा और गर्मी प्रतिरोधी किस्मों/ संकरों जैसे कि अर्का गगन, अर्का तेजस्वी और अर्का सान्वी की सिफारिश की गई है, साथ ही ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग, संतुलित पोषक तत्व प्रबंधन और एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) सहित जलवायु-अनुकूल खेती पद्धतियों की भी सिफारिश की गई है। राज्य सरकार द्वारा जलवायु-अनुकूल खेती पद्धतियों को अपनाने की सलाह दी गई है, जिसमें कृष्णाप्रभा-रुद्र जैसी उपयुक्त अल्पावधि और जलवायु-अनुकूल मिर्च की किस्मों का चयन करना और जहां आवश्यक हो, वैकल्पिक अल्पावधि फसलों पर विचार करना शामिल है।

(ग): कर्नाटक राज्य बागवानी विभाग मिर्च की खेती की लागत में वृद्धि से अवगत है, जिसका कारण बीज/ सीडलिंग, उर्वरकों, कीटनाशकों, श्रम, सिंचाई, मशीनरी और अन्य कृषि इनपुट की बढ़ती कीमतें हैं। इस संबंध में, वर्ष 2026-27 के लिए स्केल ऑफ फाइनेंस (एसओएफ) निर्धारित करते समय, खेती की बढ़ी हुई लागत और विभिन्न इनपुट लागतों को ध्यान में रखा गया। तदनुसार, मिर्च की खेती के लिए अनुशंसित स्केल ऑफ फाइनेंस 55,884 रुपये प्रति एकड़ से बढ़ाकर 69,189 रुपये प्रति एकड़ कर दिया गया है। हालांकि, रायचूर जिले में मिर्च किसानों के मध्य ऋणग्रस्तता की स्थिति के बारे में विशिष्ट आंकड़े राज्य बागवानी विभाग के पास उपलब्ध नहीं हैं।

(घ): सरकार प्राकृतिक आपदाओं और प्रतिकूल मौसमी घटनाओं से फसल के नुकसान या क्षति से प्रभावित किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस) कार्यान्वित कर रही है। पीएमएफबीवाई के तहत कर्नाटक सरकार ने मिर्च को पीएमएफबीवाई/ आरडब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत बीमित फसल के रूप में अधिसूचित किया है।

मिर्च सहित बागवानी फसलों में एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत 2 हेक्टेयर प्रति लाभार्थी क्षेत्र तक के लिए प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपये के लागत मान सहित 30% की दर से सहायता उपलब्ध है।

राज्य सरकारें भारत सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और मानदंडों के अनुसार, अपने पास पहले से ही उपलब्ध राज्य आपदा मोचन कोष (एसडीआरएफ) से प्राकृतिक आपदाओं, जिनमें कीटों का प्रकोप भी शामिल है, के तहत राहत उपाय करती है। राज्य के प्रयासों में सहायता प्रदान करने हेतु, 'गंभीर प्रकृति की आपदा' की स्थिति में, स्थापित प्रक्रिया के अनुसार राष्ट्रीय आपदा मोचन कोष (एनडीआरएफ) से अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। एसडीआरएफ और

एनडीआरएफ के तहत प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता राहत के रूप में होती है, न कि हुई क्षति/ दावा की जाने वाली प्रतिपूर्ति के लिए।

(ङ): मिर्च की कीमतों को स्थिर करने और फसलोपरांत नुकसान को कम करने के लिए, एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) के तहत कोल्ड स्टोरेज सुविधाओं सहित फसलोपरांत इन्फ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए सहायता उपलब्ध है। इन हस्तक्षेपों से फसलोपरांत नुकसान को कम करने, मजबूरी में की गई बिक्री को कम करने और किसानों को बेहतर कीमतें प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

सरकार फसलोपरांत प्रबंधन इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए मध्यम और दीर्घकालिक ऋण संबंधी वित्तपोषण प्रदान करने हेतु एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) योजना भी कार्यान्वित कर रही है। कर्नाटक में एआईएफ के तहत फसलोपरांत भंडारण संरचनाओं (कोल्ड स्टोर्स और कोल्ड चेन, साइलो और वेयरहाउस) की 1739 इकाइयों को स्वीकृत किया गया है।

इसके अतिरिक्त, न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) व्यवस्था के अंतर्गत न आने वाली नाशवान प्रकृति की कृषि और बागवानी वस्तुओं का उत्पादन करने वाले किसानों को लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के लिए, सरकार प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा) के तहत बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) कार्यान्वित करती है। इस योजना का उद्देश्य बंपर उत्पादन के समय किसानों को मजबूरी में की जाने वाली बिक्री से बचाना है, जब बाजार मूल्य आर्थिक स्तर और उत्पादन लागत से नीचे गिर जाते हैं। एमआईएस संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकार के अनुरोध पर कार्यान्वित की जाती है, जिसमें पिछले सामान्य वर्ष की तुलना में प्रचलित बाजार मूल्य में कम से कम 10% की गिरावट सहित निर्धारित दिशानिर्देशों का पालन किया जाता है। इस योजना के तहत होने वाले नुकसान को केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच 50:50 (पूर्वोत्तर राज्यों के लिए 75:25) के अनुपात में साझा किया जाता है। अधिसूचित एपीएमसी मंडियों में बेची जाने वाली फसलों के लिए बाजार हस्तक्षेप मूल्य (एमआईपी) और विक्रय मूल्य के बीच भावांतर का किसानों को सीधे भुगतान करने के विकल्प के साथ भावांतर भुगतान (पीडीपी) का एक नया घटक भी इस योजना में जोड़ा गया है। वर्ष 2025-26 के दौरान, कर्नाटक को 73,732 मीट्रिक टन की स्वीकृत मात्रा के साथ 105,892.00 रुपये प्रति मीट्रिक टन का एमआईपी स्वीकृत किया गया था। तथापि, एमआईपी से अधिक प्रचलित बाजार मूल्य के कारण इसे कार्यान्वित नहीं किया जा सका।
